प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/401, दिनांक 28.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में मेडिकल कालेज एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में निम्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 7955.00 लाख (रू0 उनासी करोड़ पचपन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संबंधित प्रधानाचार्यो द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(7) धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
	कुल			7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

/	031	2210051050353 मेडिकल कालेज. देवरिया	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	11,55,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र)
	कुल			**11,55,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
/	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	14,50,00,000 (रुपये चौदह करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**14,50,00,000 (रुपये चौदह करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
/	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			**10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
/	031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)**

महायोग	79,55,00,000 (रुपये उनासी करोड़ पचपन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Signed by कुलदीप कुमार रस्तोगी
Date: 10-10-2022 18:15:39
Reason: Approved
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/मा0 अटल बिहारी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
4. निदेशक, कैंसर संस्थान लखनऊ/राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर, तथा जौनपुर ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20222023-71-3002-002-13-2022-03

विषय -: वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर में मानक मद-31-सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050387 (मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य ((गैर वेतन)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	3,64,00,000 रुपये तीन करोड़ चौंसठ लाख मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050325 (डाराममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य ((वेतन)	2,57,51,25,000 रुपये दो अरब सतावन करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050366 (किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य ((वेतन)	6,62,00,00,000	30,00,00,000	40,00,00,000	-	-	2022-2023
031	2210051050308 (कैंसर संस्थान,	31 (सहायता	28,04,02,000 रुपये अट्ठाईस	30,00,00,000	5,91,00,000 रुपये पांच करोड़	-	-	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	लखनऊ)	अनुदान - सामान्य ((वेतन)	करोड़ चार लाख दो हजार मात्र	रुपये तीस करोड़ मात्र	इक्यानबे लाख मात्र			
कुल					₹ 79,55,00,000	₹ 0		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तोवित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	10,90,00,000 रुपये दस करोड़ नव्वे लाख मात्र	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	14,50,00,000 रुपये चौदह करोड़ पचास लाख मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050353	31	11,00,00,000	11,55,00,000	-	-	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	(मेडिकल कालेज, देवरिया)	(सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	रुपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र			
031	2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)	31 (सहायता अनुदान सामान्य - ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	-	-	2022-2023
031	2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)	31 (सहायता अनुदान -सामान्य ((वेतन)	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	-	-	2022-2023
कुल				₹ 79,55,00,000	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1.स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में कैंसर संस्थान लखनऊ में रू0 591.00 लाख, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 में रू0 4000.00 लाख, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ में रू0 3000.00 लाख एवं मा0 अटल बिहारी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में रू0 364.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 7955.00 लाख की बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नानुसार कारणों से है:-

फेज-2 के अन्तर्गत 08 मेडिकल कालेजों तथा मेडिकल कालेज, जौनपुर में चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में उपरोक्तानुसार कुल रू0 7955.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-93, दिनांक 10 अक्टूबर,2022

सेवा में,

.महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या : उपरोक्त तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

11-10-2022

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-93, दिनांक 10 अक्टूबर,2022

सेवा में,

महालेखाकार,
(ए0 एण्ड ई0),
उ0प्र0, प्रयागराज।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या : उपरोक्त तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित नियंत्रक, मेडिकल कालेज, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।